

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)

// स्मरण - पत्र //

क्रमांक GENCOR-35/6462/2026-COLL JSP REV SEC जशपुर दिनांक/2026

प्रति,

सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख

जिला - जशपुर (छ.ग.)

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ - 1. छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक GENS-2001/986/2026-REVENUE, दिनांक 29-09-2026.

2. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, का पत्र क्रमांक GENCOR/36/2025-GAD-13 दिनांक 21-09-2026.

3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक GENCOR-35/6462/2026-COLL JSP REV SEC जशपुर, दिनांक 25-09-2026.

--००--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के 17 बिंदुओं एवं अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों की जानकारी को अद्यतन कर संबंधित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को दिनांक 28-09-2026 तक अनिवार्य रूप से भेजने हेतु निर्देशित किया गया था।

चूँकि शासन स्तर से समेकित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को प्रेषित की जानी है, अतः आपके विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक चाही गई जानकारी/पालन प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः तदनुसार आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के तहत स्व-प्रेरणा से प्रकट की जाने वाली समस्त आवश्यक जानकारियों को अद्यतन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तदुसार विभागीय वेबसाइट के स्पष्ट लिंक सहित एकजाई पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को ई-मेल / विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

इसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

संलग्न - यथोपरि।

कलेक्टर

जशपुर (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक GENCOR-35/6462/2026-COLL JSP REV SEC जशपुर दिनांक/2026

प्रतिलिपि -

1. सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

सही/-

कलेक्टर

जशपुर (छत्तीसगढ़)

समय-सीमा

I/662494/2026

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर%492002

Email: revenue.cg@nic.in, दूरभाष नं. 0771-2510994

File No.: GENS-2001/986/2026-REVENUE, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29-09-2026

प्रति,

1. संचालक,
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त संभागायुक्त/समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. GENCOR/36/2025-GAD-13, दिनांक 10-08-2026 तथा पत्र क्र. GENCOR/36/2025-GAD-13, दिनांक 21.09.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) में निहित प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन हेतु विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ आने वाले समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर, एकजार्ड जानकारी तथा जिस विभागीय वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की गई है, उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए पालन प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

3/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ समस्त जिला/कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्व-प्रेरणा से प्रकट की जाने वाली (Suo-Moto Disclosure) 17 बिंदुओं की जानकारी अद्यतन कर संबंधित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4/ उक्त कार्यवाही पूर्ण कर एकजार्ड पालन प्रतिवेदन (वेबसाइट लिंक के स्पष्ट उल्लेख सहित) इस विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को समेकित जानकारी समय-सीमा दिनांक 30.09.2026 तक प्रेषित की

जा सके।
संलग्न: यथोपरि।

Digitally signed by
DHANANJAY NETAM
Date: 29-09-2026
10:47:17

(धनंजय नेताम)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. File No.: GENS-2001/986/2026-REVENUE, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29-09-2026

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-13), नवा रायपुर
अटल नगर की ओर उनके पत्र क्र. GENCOR/36/2025-GAD-13, दिनांक 10.08.2026
तथा पत्र क्र. GENCOR/36/2025-GAD-13, दिनांक 21.09.2026 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ
प्रेषित।

(हस्ता./-)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
Email ID:-gad-secy@cg.gov.in, Phone No. 0771-2510160
--00--

क्र. **GENCOR/36/2025-GAD-13**

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21-09-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) प्रावधानों के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) का समुचित क्रियान्वयन बाबत ।

----000----

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा अपने संगठन से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी का प्रकाशन और उसका नियमित अद्यतनीकरण (Update) स्वतः संज्ञान लेकर जनसामान्य के लिए प्रकटन किया जाना आवश्यक है :-

1. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापदंड,
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
6. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं,
7. ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,
8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं,
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक,
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और किए गए आहरणों से संबंधित रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,

12. आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा,
13. अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण,
14. अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना के संबंध में ब्योरा ,
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के कार्य समय ब्योरे भी सम्मिलित हों,
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्योरे।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणी की सूचनाओं का भी स्वतः प्रकटन किया जाए:-

1. खरीद से संबंधित सूचना
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी
3. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
4. सूचना का अधिकार आवेदन
5. सीएजी एवं पीएसी पैरा
6. नागरिक घोषणापत्र
7. विवेकाधीन और विवेकाधिकार के बिना अनुदान
8. मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे

2/ शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है अथवा जानकारी को लंबे समय से अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है।

3/ अतएव निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1)(ख) में निहित उक्त प्रावधानों के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय अपने संगठन से संबंधित उपरोक्त जानकारी का अपने आधिकारिक वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करते हुए उक्त की जानकारी अनिवार्य रूप से इस विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को दिनांक 30.09.2026 तक उपलब्ध करायें।

Digitally signed by
AVINASH CHAMPAWAT
Date: 21-09-2026
11:28:17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
Email ID usecy.gad 13.cg @ gov.in

--00--

क्र. **GENCOR/36/2025-GAD-13**

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10-08-2026

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)

छत्तीसगढ़ शासन (खाद्य विभाग/ वित्त विभाग/विधि और विधायी कार्य विभाग/
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खनिज साधन
विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-2/उच्च शिक्षा विभाग/श्रम विभाग/इलेक्ट्रॉनिक
सूचना प्रौद्योगिकी/ संस्कृति विभाग/जनसंपर्क विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/संसदीय
कार्य विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/आवास एवं पर्यावरण
विभाग/समाज कल्याण विभाग/कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं
लोक निर्माण विभाग/ग्रामोद्योग विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग-कक्ष-3/सामान्य प्रशासन
विभाग, कक्ष-4 एवं कक्ष-8 को छोड़कर) नवा रायपुर अटल नगर, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ ।

**विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) प्रावधानों का समुचित
क्रियान्वयन के संबंध में।**

**संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक 3409/जी-1255/2018/1-13 दिनांक 06.10.2018
एवं स्मरण पत्र दिनांक 22.10.2019, 10.02.2020, 22.10.2020,
09.06.2021, 22.09.2021 एवं 4398/आर जी-1255/2018/1-13 दिनांक
14.02.2020 तथा 2340/आर जी-1255/2018/1-13 दिनांक 13.09.2022,
433/आर जी-1255/2018/1-13 दिनांक 01.03.2023 तथा 1968/आर जी-
1255/2018/1-13 दिनांक 17.10.2023, 28.05.2024 एवं 09.07.2025**

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा सूचना
का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1)(ख) में निहित प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन हेतु अपने
विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ आने वाले विभागाध्यक्षों/कार्यालयों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर,
एकजाई पालन प्रतिवेदन, विभागीय वेबसाइट जिसमें जानकारी अपलोड की गई है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए
जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। किन्तु संदर्भित पत्रों द्वारा बार-बार स्मरण कराये
जाने के बाद भी उक्त वांछित जानकारी/पालन प्रतिवेदन आदिनांक तक अप्राप्त है।

2/ अतः निर्देशानुसार पुनः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1)
(ख) में निहित प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन हेतु अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ आने वाले
विभागाध्यक्षों/कार्यालयों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर, एकजाई पालन प्रतिवेदन, विभागीय वेबसाइट
जिसमें जानकारी अपलोड की जा रही है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एकजाई जानकारी विभाग को उपलब्ध
कराने का कष्ट करे, ताकि उक्त जानकारी/पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को आगामी
कार्यवाही हेतु भेजी जा सकें।

Digitally signed by
Hemant Kumar Pandey
Date: 10-08-2026
13:42:09

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(कक्ष-13)
.....2

//2//

प्रतिलिपि:-

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक GENCOR-35/6462/2026-COLL JSP REV SEC जशपुर, दिनांक2026
प्रति,

सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख
जिला - जशपुर (छ.ग.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) का समुचित एवं अनिवार्य क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक GENCOR/36/2025-GAD-13, दिनांक 21-09-2026

--००--

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के तहत सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा अपने संगठन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं एवं श्रेणियों की जानकारियों का प्रकाशन तथा उसका नियमित अद्यतनीकरण (Update) स्वतः संज्ञान लेकर जनसामान्य के लिए प्रकटन किए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा उक्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है अथवा जानकारियों को लंबे समय से अद्यतन नहीं किया गया है, जो अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है। (शासन से प्राप्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है।)

अतः शासन के निर्देशों के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में निहित समस्त 16 बिंदुओं तथा अतिरिक्त श्रेणियों (जैसे- खरीद, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्थानांतरण नीति, आर.टी.आई. आवेदन, सीएजी पैरा, नागरिक घोषणा पत्र, अनुदान, विदेशी दौरे आदि) से संबंधित अनिवार्य जानकारियों को तत्काल अपने कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड/अद्यतन (Update) करना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तथा अद्यतन की गई जानकारी का विवरण अनिवार्य रूप से दिनांक 28.09.2026 तक इस कार्यालय के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित समय-सीमा (दिनांक 30.09.2026) के पूर्व शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को समेकित जानकारी प्रेषित की जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
संलग्न - यथोपरि।

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

पु. क्रमांक GENCOR-35/6462/2026-COLL JSP REV SEC जशपुर, दिनांक2026
प्रतिलिपि -

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

सही/-
कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
Email ID:-gad-secy@cg.gov.in, Phone No. 0771-2510160
--00--

क्र. GENCOR/36/2025-GAD-13

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21-09-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) प्रावधानों के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) का समुचित क्रियान्वयन बाबत ।

----000----

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा अपने संगठन से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी का प्रकाशन और उसका नियमित अद्यतनीकरण (Update) स्वतः संज्ञान लेकर जनसामान्य के लिए प्रकटन किया जाना आवश्यक है :-

1. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापदंड,
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
6. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं,
7. ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,
8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं,
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक,
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और किए गए आहरणों से संबंधित रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,

12. आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा,
13. अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण,
14. अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना के संबंध में ब्योरा ,
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के कार्य समय ब्योरे भी सम्मिलित हों,
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्योरे।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणी की सूचनाओं का भी स्वतः प्रकटन किया जाए:-

1. खरीद से संबंधित सूचना
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी
3. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
4. सूचना का अधिकार आवेदन
5. सीएजी एवं पीएसी पैरा
6. नागरिक घोषणापत्र
7. विवेकाधीन और विवेकाधिकार के बिना अनुदान
8. मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे

2/ शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है अथवा जानकारियों को लंबे समय से अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है।

3/ अतएव निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1)(ख) में निहित उक्त प्रावधानों के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय अपने संगठन से संबंधित उपरोक्त जानकारियों का अपने आधिकारिक वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करते हुए उक्त की जानकारी अनिवार्य रूप से इस विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को दिनांक 30.09.2026 तक उपलब्ध करायें।

Digitally signed by
AVINASH CHAMPAWAT
Date: 21-09-2026
11:28:17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।